

यह कि द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष को उक्त आवासीय मकान की बकाया धनराशि यानि 60,00,000/- (साठ लाख रूपये) देकर आगामी 60 दिन के अंदर रजिस्ट्री अपने नाम करा लेगा। तथा बसमय बैनामा पंजीकरण प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष को उक्त मकान पर कब्जा प्रदान करेगा।

यह कि यदि प्रथम पक्ष उक्त आवासीय मकान का बैनामा उक्त अवधि के भीतर द्वितीय पक्ष या नामजदा द्वितीय पक्ष के पक्ष में लिखकर रजिस्ट्री कराने में कोई हीला बहाना या आपत्ति करता है अथवा यदि तय समय के अंदर बकाया धनराशि का भुगतान द्वितीय पक्ष द्वारा नहीं किया जाता है तो यह इकरारनामा रद्द कर दिया जायेगा। तथा बयाने की धनराशि प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को वापिस कर दी जायेगी जिसमें किसी पक्ष को कोई आपत्ति नहीं होगी।

यह कि प्रथम पक्ष ने उक्त ऋण व भार-मुक्त आवासीय मकान अपने होशो हवाश में द्वितीय पक्ष को विक्रय करना तय किया है। इन शर्तों के अलावा तथा उपरोक्त तय धनराशि के अलावा अन्य कोई नई बात मान्य नहीं होगी।

अतः यह इकरारनामा बतौर यादाश्त आज दिनांक 03.02.2024 को कम्प्यूटर पर टाईप कराकर दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित किया गया।

ह० द्वितीय पक्ष

(श्रीमती सोनाली पूनिया)

आ०न०-3317-0069-5648,

पैन नम्बर-BQDPP1100J

ह० प्रथम पक्ष

(श्री विमल कुमार)

आ०न० 8558-6492-2157

पैन नं०-ARXPK825R



